भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2828
उत्तर देने की तारीख : 05.12.2019

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

2828. श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत पाचं वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अल्पसख्यक कार्य मत्रांलय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन में किन–किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है;

(ग) क्या अधिकांश योजनाएं अपना यह उद्देश्य हासिल करने में असमर्थ रही हैं जिनके लिए वे आरंभ की गई हैं क्योंकि ये योजनाएं लक्षित अल्पसंख्यक आबादी तक नहीं पहुंची हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का योजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का उक्त लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों को आबंटित निधि की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) योजना के कार्यान्वयन के दौरान क्या वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं और इस संबंध में दोषी पाए गए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) क्या सरकार ने लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः(6) अल्पसंख्यक समुदायों यथा बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और पारसी के कल्याण और विकास के लिए देशभर में निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं/कार्यक्रम संक्षेप में निम्नानुसार हैंः–

(1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजनाः कक्षा X तक के लिए।

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः कक्षा XI से पीएच.डी. तक के लिए।

(3) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाः तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए योजना।

(4) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तिः यूजीसी मानकों के अनुसार उच्च शिक्षा जैसे एम.फिल एवं पीएच.डी. करने के लिए अध्येतावृत्ति।

(5) नया सवेराः निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजनाः– इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों को तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और समूह 'क', 'ख' और 'ग' स्तर की भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

(6) ''पढ़ो परदेश'': विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।

(7) नई उड़ानः संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)/एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को सहायता–इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के अभ्यर्थियों को उनकी मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सहायता।

(8) जियो पारसीः इस योजना का उद्देश्य भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को रोकना है। यह भारत में पारसियों की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की एक अनूठी योजना है।

(9) नई रोशनीः यह महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए अनन्य योजना है जो सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और माध्यस्थों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीकें उपलब्ध करवाते हुए महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करती है।

(10) सीखो और कमाओः प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम।

(11) नई मंजिलः स्कूल ड्रॉपआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजना।

(12) उस्तादः पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन की योजना, ऐसी कलाओं और शिल्पों की मार्केटिंग के लिए हुनर हाट आयोजित करना।

(13) हमारी धरोहरः भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

(14) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) शिक्षा और रोजगार उन्मुखी योजनाएं कार्यान्वित करता है।

(15) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) स्व–रोजगार और आय–सृजक उद्यमों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

(16) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके): मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) जिसे पूर्व में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में जाना जाता था, और जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, देश के अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों(एमसीए) में कार्यान्वित किया है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के बराबर लाने के लिए उनमें सामाजिक–आर्थिक परिसंपत्तियां विकसित करना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। पीएमजेवीके के अधीन कवर किया गया क्षेत्र अब 109 अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों (एमसीडी मुख्यालय), 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) और 321 अल्पसंख्यक बहुल नगरों (एमसीटी) तथा अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूहों (सीओएमसीवी) तक बढ़ाया गया है जिनकी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पहचान की जाती है। कुल मिलाकर 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 308 जिलों में फैले 1300 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान की गई है।

पीएमजेवीके के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कुल 7616.64 करोड़ रु0 की राशि आबंटित की गई है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान 5325.44 करोड़ रु0 की राशि खर्च की गई है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा प्रस्तावित आवासीय स्कूल, नए स्कूल, कॉलेज भवन, छात्रावास, अतिरिक्त क्लास रूम, स्कूलों में प्रयोगशाला–कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, शौचालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कामकाजी महिला हॉस्टल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल परियोजनाएं, सामान्य सेवा केंद्र, सद्भाव मंडप, मार्किट शेड इत्यादि जैसी परियोजनाओं की सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है। यह ब्यौरा http://www.minorityaffairs.gov.in/empowered-committee-minutes पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): जी नहीं। ये योजनाएं मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं तथा संबंधित उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं।

(ङ) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आबंटित एवं प्रयुक्त निधियों का योजना–वार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर है। राज्य–वार कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(च) जहां तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में पीएमजेवीके के कार्यान्वयन का संबंध है, जहां निधियां राज्य सरकार को जारी की जाती हैं, वहां योजना के तहत पर्याप्त प्रावधान है। ब्लॉक स्तर समिति, जिला स्तर समिति एवं राज्य स्तर समिति द्वारा परियोजनाओं की परिकल्पना, तैयारी की जाती है, विचार किया जाता है और जांच की जाती है। राज्य स्तर समिति की अनुशंसाएं मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति को भेजी जाती है जो नई परियोजनाएं अनुमोदित करने तथा चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। ये समितियां राज्यों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय कॉफ्रेंस और बैठकों तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दौरों के माध्यम से भी की जाती है।

(छ) जब भी किसी ऐसी घटना की सूचना दी जाती है या सरकार के ध्यान में लाई जाती है, तो मौजूदा दिशा–निर्देशों और नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(ज) राज्य सरकार सहित सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अगली परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव करने से पहले स्वीकृत परियोजनाओं को उपयुक्त समयावधि के भीतर पूरा कर लें। किस्तें जारी करने की निगरानी निधि के उपयोग और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के विकास में दिखाई गई प्रगति के आधार पर भी की जाती है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 05.12.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2828 के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	योजना	बजट अनुमान 2014-15	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2015-16	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2016-17	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2017-18	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2018-19	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2019-20	व्यय 2019–20
I	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	1100.00	1128.84	1040.10	1015.72	931.00	585.94	950.00	1108.13	980.00	1176.19	1220.30	
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	598.50	501.32	580.10	552.83	550.00	287.11	550.00	479.72	692.00	354.89	496.01	जारी है
3	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	335.00	381.38	335.00	315.00	335.00	220.54	393.54	388.79	522.00	261.17	366.43	
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	50.00	0.12	49.83	55.52	80.00	119.92	100.00	124.87	153.00	97.85	155.00	
5	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता	4.00	3.50	4.19	4.15	4.00	4.00	8.00	17.00	24.00	45.00	30.00	
6	निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	25.00	31.49	45.00	44.87	45.00	40.00	48.00	45.59	74.00	44.61	75.00	
7	यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता।	4.00	2.96	4.00	3.97	4.00	4.00	4.00	6.18	8.00	6.72	20.00	
	उप–योग	2116.50	2049.61	2058.22	1992.06	1949.00	1261.51	2053.54	2170.28	2453.00	1986.43	2362.74	
8	कौशल विकास पहलें	35.00	46.21	67.45	191.97	210.00	204.94	250.00	199.80	250.00	175.73	250.00	
9	उस्ताद (हुनर हाट)	0.00	0.44	17.01	16.90	20.00	19.77	22.00	21.80	30.00	31.26	50.00	
10	नई मंजिल (8वीं से 10वीं तक के लिए कौशल)	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	117.97	175.95	93.73	140.00	93.73	140.00	
11	एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान	120.00	30.00	120.00	120.00	140.00	140.00	170.00	170.00	165.02	165.00	100.00	
	उप–योग	155.00	76.65	204.46	328.87	525.00	482.68	617.95	48533	585.02	465.72	540.00	
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास	14.00	13.99	15.00	14.99	15.00	14.75	15.00	15.19	15.00	13.83	15.00	
13	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना	2.00	0.50	2.00	1.18	2.00	1.54	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	
14	हमारी धरोहर	0.00	4.99	10.01	9.90	11.00	6.6	12.00	0.64	6.00	1.64	8.00	
15	मौलाना आजाद स्वास्थ्य सहायता	2.00	0.00	0.01	0.00	-	-		-		-		
16	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन और प्रचार	45.00	32.24	45.25	44.22	45.00	46.78	50.00	50.04	55.00	52.60	60.00	
	उप–योग	63.00	51.72	72.27	70.29	73.00	69.67	79.00	68.87	80.00	72.07	87.00	
17	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	1250.00	768.20	1251.64	1120.73	1125.00	1082.78	1200.00	1197.66	1320.00	1156.07	1470.00	
	उप–योग	1250.00	768.20	1251.64	1120.73	1125.00	1082.78	1200.00	1197.66	1320.00	1156.07	1470.00	
18	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	125.01	36.00	90.00	
19	एनएमडीएफसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.27	2.00	0.30	2.00	2.00	2.00	
20	शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	3.18	2.75	3.18	2.65	3.18	2.80	3.18	3.16	3.16	3.16	3.16	
21	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	10.00	6.95	9.70	4.67	13.00	10.13	13.00	10.58	16.94	11.89	17.50	
22	सचिवालय	12.34	11.19	12.99	12.11	13.59	16.23	17.66	17.81	19.14	28.16	22.00	
23	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	7.30	6.70	7.56	6.55	7.66	7.19	8.41	7.26	8.62	8.92	9.30	
24	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	1.69	1.74	3.09	1.92	2.82	1.89	2.74	1.86	2.32	1.70	2.30	
25	हज सीजीआई जेद्दा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	56.72	76.79	73.39	85.00	
26	हज सचिवालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.48	8.00	7.50	9.00	
	उप–योग	149.51	144.33	151.52	142.9	155.25	152.51	244.99	217.17	261.98	17232	240.26	
	सकल योग	3734-01	3090.51	3738.11	3654.85	3827.25	3049.15	4195.48	4139.31	4700.00	3853.01	4700.00	